



# एनएसटीएफडीसी की "ई पत्रिका"

**एनएसटीएफडीसी की जनवरी से मार्च, 2019 तक की माहवार गतिविधियां**

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजातियों को स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। एनएसटीएफडीसी संबंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा नामित सरकारी स्वामित्व वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), एनसीडीसी, कुछ पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से अपना फंड चैनेलाइज करता है।

**(1) जनवरी, 2019 माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:**

**I. निष्पादन :**

वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मद	वित्तीय वर्ष 2018-19		गत वर्ष इसी अवधि के दौरान निष्पादन
		वार्षिक लक्ष्य	दि. 31.01.2019 तक की उपलब्धि	
i.	मंजूरी	240.00	331.87	192.16
ii.	संवितरण	220.00*	88.09	141.63

\* समझौता ज्ञापन 2018-19 के अनुसार, वर्ष के लिए संवितरण लक्ष्य कुल निधि उपलब्धता के 80% पर आधारित है और उसी के अनुसार तय किया गया है।

**II. इस माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:**

**(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने दौरे किए :**

- चित्तूर (आंध्र प्रदेश), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने त्रिरुपति में एनएसटीएफडीसी द्वारा प्रायोजित एवं ट्राइकोर, आंध्रप्रदेश द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया। शिविर में 150 से अधिक आदिवासी उम्मीदवारों, लाभार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया और नए स्वीकृत ऋणों के लिए चैक भी सौंपे गए। इस यात्रा के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने तमिलनाडू राज्य में एनएसटीएफडीसी की निधियों को चैनेलाइज करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध कराने के संबंध में तमिलनाडू आदि द्रविड़ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (थाडको) के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।
- राउरकेला (ओडिशा) के सुंदरगढ़ जिले में दिनांक 21.01.2019 से 07.02.2019 तक "डिजिटल साक्षरता जागरूकता शिविर" की व्यवस्था की देखरेख करने हेतु वहां का दौरा किया, जिसका उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय एवं सहायक महा प्रबंधक (परियोजना) ने अपर मुख्य सचिव (वित्त) एवं प्रधान सचिव, जनजातीय कल्याण, महाराष्ट्र सरकार के साथ बकाया अतिदेय राशि के भुगतान, सरकारी गारंटी की अनुपलब्धता एवं एनएसटीएफडीसी की चैनेलाईजिंग एजेंसी शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास महामंडल मर्यादित द्वारा अप्रयुक्त निधि की वापसी हेतु मुंबई में एक बैठक हेतु दौरा किया।

**(ख)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने उद्यमशीलता गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आईटीडीए- रामपचोदावरम एवं जनजाति किसान उत्पादक संगठन (काजू) के साथ चर्चा हेतु पूर्वी गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने उद्यमिता विकास और सीएसआर गतिविधियों एवं आदिवासी

युवकों की वित्तीय सहायता एवं कार्यक्रम मूल्यांकन हेतु प्रबंध निदेशक (ट्राईकोर) के साथ भी एक बैठक की। यात्रा के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के साथ गए सहायक महा प्रबंधक(परियोजना) ने आईटीडीए क्षेत्र में एनएसटीएफडीसी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लगभग **10** इकाइयों का निरीक्षण किया।

(ग) एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों को दिनांक **21** जनवरी, **2019** से **7** फरवरी, **2019** तक ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना, डिजिटल साक्षरता पर छात्रों, युवाओं, स्व सहायता समूहों के सदस्यों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के लिए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के लिए **21** जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर दिनांक **21** से **31** जनवरी, **2019** के बीच **14** जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे।

(घ) जनवरी, **2019** के माह के लिए, एनएसटीएफडीसी के संबंध में जानकारी अद्यतन करने के संबंध में जैसे रिक्तियों की स्थिति एवं एसीसी मॉनिटरिंग में पोस्टिंग आदि कुछ नहीं है।

## (2) फरवरी, 2019 माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:

### I. निष्पादन :

वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार है:

(₹करोड़ में)

क्रमांक	मद	वित्तीय वर्ष 2018-19		गत वर्ष इसी अवधि के दौरान निष्पादन
		वार्षिक लक्ष्य	दि.28.02.2019 तक की उपलब्धि	
i.	मंजूरी	240.00	437.25	206.23
ii.	संवितरण	220.00*	109.90	169.86

\* समझौता ज्ञापन 2018-19 के अनुसार, वर्ष के लिए संवितरण लक्ष्य कुल निधि उपलब्धता के 80% पर आधारित है और उसी के अनुसार तय किया गया है।

### II. इस माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:

(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने "डिजिटल साक्षरता जागरूकता शिविर" की व्यवस्था की देखरेख के लिए दाहोद (गुजरात) का दौरा किया। जागरूकता शिविर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात द्वारा माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री जसवंतसिंह एस. भाभोर की उपस्थिति में 3 फरवरी, 2019 को किया गया। इस शिविर में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसटीएफडीसी ने एनएसटीएफडीसी टीम सदस्यों के साथ भाग लिया।

इस यात्रा के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने राज्य में आदिवासी युवाओं और उद्यमिता विकास और सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु गुजरात आदिवासी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ एक बैठक की।

(ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (सीआरएएसबीएवीएन) के प्रबंध निदेशक एवं जनजातीय कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव के साथ चर्चा हेतु रायपुर (छत्तीसगढ़) का दौरा किया। इस बैठक के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया था:

- चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएसटीएफडीसी ऋण प्राप्त करने हेतु सीआरएएसबीएवीएन द्वारा मंजूरीयों एवं संवितरणों पर नए प्रस्ताव;
- मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के द्विभाजन के समय से लंबित अतिदेय राशि के एकबारगी निपटान (वन टाइम सेटलमेंट) पर एनएसटीएफडीसी के प्रस्ताव पर विचार, सीआरएएसबीएवीएन द्वारा सीधे प्राप्त ऋणों पर अतिदेय राशि की निकासी एवं प्रयुक्त राशि से संबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा एनएसटीएफडीसी की अप्रयुक्त निधि की वापसी पर विचार-विमर्श।

(ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के दौरे:

- उद्यमिता परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्त पोषण और योजना के बारे में बेंगलुरु (कर्नाटक) में कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (केएसएफसी) एवं कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (केएमवीएसडीसी) के अधिकारियों के साथ मुलाकात की;
- त्रिशूर (केरल) में एनएसटीएफडीसी शेर के वित्त पोषण, उपयुक्तता एवं वृद्धि के लिए केरल राज्य विकास निगम (केएसडीसी) के अधिकारियों के साथ मुलाकात की;
- मैंगलोर (कर्नाटक) में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फील्ड विजिट तथा एनएसटीएफडीसी योजनाओं के तहत वित्त पोषित इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया।

- (घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने दिनांक **25.02.2019** को राउरकेला (ओडिशा) में एनएसटीएफडीसी, एनएआईएल (सेल) एवं एनएसआईसी की एक संयुक्त पहल आजीविका उष्मायन केंद्र (लाइवलीहुड इन्क्यूबेशन सेंटर) की आधारशिला समारोह में भाग लिया। आधारशिला की नींव श्री जुएल ओराम, माननीय जनजातीय कार्य केंद्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने रखी।
- (ड.) एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों ने स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से सहायता प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण के लिए तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली और महबूबबाद जिलों का दौरा किया। इसके अलावा, अधिकारियों ने निगमित सामाजिक दायित्व पर यूथ ट्रेनिंग सेंटर के प्रस्तावों पर अंतिम रूप देने के लिए पश्चिमी गोदावरी (आंध्रप्रदेश) के विजयवाड़ा एवं कोटा रामचंद्रपुरम का दौरा किया।
- मेघालय एपेक्स कोओपरेटिव बैंक, शिलांग के माध्यम से एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के निरीक्षण के लिए मेघालय का एक क्षेत्रीय दौरा किया गया।
- (च) माह के दौरान निगम की **76** वीं बोर्ड बैठक का आयोजन कुमारकॉम, केरल में किया गया।
- (छ) फरवरी, **2019** माह के लिए, एनएसटीएफडीसी के संबंध में जानकारी अद्यतन करने के संबंध में जैसे रिक्तियों की स्थिति एवं एसीसी मॉनिटरिंग में पोस्टिंग आदि कुछ नहीं है।

\*\*\*\*\*

(1) मार्च, 2019 माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:

I. निष्पादन :

वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार है:

(₹करोड़ में)

क्रमांक	मद	वित्तीय वर्ष 2018-19		गत वर्ष इसी अवधि के दौरान निष्पादन
		वार्षिक लक्ष्य	दि.31.03.2019 तक की उपलब्धि	
i.	मंजूरी	240.00	481.06	318.03
ii.	संवितरण	270.18*	293.32	270.72

\* समझौता ज्ञापन 2018-19 के अनुसार, वर्ष के लिए संवितरण लक्ष्य कुल निधि उपलब्धता के 80% पर आधारित है और उसी के अनुसार तय किया गया है।

II. इस माह के दौरान कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां:

(क) वर्ष 2018-19 में एनएसटीएफडीसी ने 293.32 करोड़ रुपए का संवितरण किया जो समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य 270.18 करोड़ रुपए से 8.57% अधिक है। इसके अलावा, निगम ने मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, कर्नाटक महर्षि बालमिकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड एवं राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा लंबे समय से लंबित अतिदेय राशि की बड़ी वसूली सहित 219.67 करोड़ रुपए की वसूली की।

(ख) एनएसटीएफडीसी की स्थापना के बाद पहली बार, तमिलनाडु राज्य में ऋण परिचालन शुरू किया गया है।

(ग) एनएसटीएफडीसी के निगमन के उपरांत, नागालैंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने मार्च, 2019 में सारा बकाया चुका दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण परिचालन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

(घ) एनएसटीएफडीसी ने आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (एपीएसएफसी) के साथ एक सामान्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान में, एनएसटीएफडीसी ट्राईकोर एवं एपीएसएफसी के माध्यम से अपने रियायती वित्त का विस्तार कर रहा है, इसलिए एपीएसएफसी आंध्र प्रदेश में निधि चैनैलाईज करने के लिए एक अतिरिक्त एजेंसी है।

(ङ) एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रस्तावों के अनुसरण में, एनएसटीएफडीसी और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- रामगिरि, जिला अनंतपुरम (आंध्र प्रदेश) के युवा प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त कापॉरेशन लिमिटेड (ट्राईकोर) के साथ सीएसआर समझौता ज्ञापन।
- देवीपटनम, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रकृति सामाजिक सेवा सोसायटी के साथ सीएसआर समझौता ज्ञापन।
- मारेडूमल्ली, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं हेतु एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए वनवासी युवाजन समक्षेमा संघम (वनवासी) के साथ सीएसआर समझौता ज्ञापन।

(च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा किए गए दौरे:-

- किशनगढ़, जिला अजमेर (राजस्थान) में तिलोनिया परियोजना के तहत कौशल विकास पहल का अध्ययन करने हेतु।
- एनएसटीएफडीसी की कॉफी टेबल बुक के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, द्वारकानगर, विशाखापट्टनम में आयोजित आराकू जनजाति पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने हेतु। इस यात्रा के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित इकाइयों का निरीक्षण किया।
- हैदराबाद में योजना तंत्र के कार्यान्वयन एवं गारंटी के संबंध में स्त्री निधि के अधिकारियों से मुलाकात की। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्त पोषित स्त्री निधि की इकाइयों का भी दौरा किया तथा ग्रामीण संगठनों के साथ मुलाकात की।

- पुनर्वित्त समझौता के संबंध में कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया ।
- (छ) एनएसटीएफडीसी के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में इंदौर, धार और बडवानी जिलों में पुनर्वित्त मामलों की पहचान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की शाखाओं का दौरा किया ।
- (ज) मार्च, 2019 के महीने के लिए एनएसटीएफडीसी से संबंधित जानकारी रिक्तियों की स्थिति को अद्यतन करने और एसीसी वेकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम में पोस्टिंग के बारे में सूचना शून्य है ।

\* \* \* \* \*

## नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

(अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु एक शीर्ष संगठन)

एनबीसीसी टावर, 5 वीं मंजिल, 15 भीकामी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

टेलीफोन नं. 011-26712539, 26177046, 26177042, फैक्स नं. 011-26712574;

वेबसाइट: [www.nstfdc.nic.in](http://www.nstfdc.nic.in) ईमेल: [nstfdc@bol.net.in](mailto:nstfdc@bol.net.in)

### एनएसटीएफडीसी का संक्षिप्त विवरण

**संगठन:** नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी) केवल अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु बनाया गया शीर्ष संगठन है। निगम अनुसूचित जनजातियों की आय जनित गतिविधियों हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक उन्नति में अग्रणी भूमिका निभाता है।

**पात्रता मानदंड:** एनएसटीएफडीसी से रियायती वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:-

व्यक्तिगत /स्व सहायता समूहों हेतु	सहकारी संस्था(ओं) हेतु
<ul style="list-style-type: none"><li>सभी आवेदक/सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने चाहिए ।</li><li>आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा आय सीमा (डीपीएल) से दुगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए । योजना आयोग के मानदंडों के आधार पर वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98000/-रुपए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/-रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</li></ul>	कम से कम 80% या ज्यादा सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए एवं आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा आय सीमा से दुगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए । सदस्यता में परिवर्तन के मामले में वह सहकारी सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगा कि एनएसटीएफडीसी की ऋण अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम नहीं है ।

### योजना :

मियादी ऋण योजना	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (आ.म.स.यो.)	स्व सहायता समूहों हेतु लघु ऋण योजना (लघु ऋण वित्त)	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (आ.शि.ऋ.यो.)
25.00 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90% तक ऋण	1,00,000/-रुपए प्रति यूनिट तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90% तक ऋण	प्रति स्व.स.समूह हेतु अधिकतम 5 लाख रुपए तथा प्रति सदस्य 50,000/-रु. तक का ऋण	प्रत्येक अनुसूचित जनजाति की पात्र परिवार को 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण
ब्याज दर: 6 से 10% वार्षिक	ब्याज दर: 4% वार्षिक	ब्याज दर: 6% वार्षिक	ब्याज दर: 6% वार्षिक

एनएसटीएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत यदि अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति ऋण लेने के इच्छुक हो तो संबंधितराज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ उनके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकते हैं । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों का संपर्क विवरण एनएसटीएफडीसी के वेबसाइट [www.nstfdc.nic.in](http://www.nstfdc.nic.in) पर उपलब्ध है ।